

To,

January 13, 2021

**The Manager,**  
**Listing Department**  
Bombay Stock Exchange,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400001.

**Scrip Code: 531409**

Sub: **Newspaper publication of Notice of Board Meeting scheduled to be held on February 02, 2021**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the newspaper publication of 'Notice of Board Meeting' published in "Financial Express" (English Language) and "Jansatta" (Hindi Language) dated January 13, 2021 with respect to approval of Un-Audited Financial Results of the company for the quarter and Nine Months ended on 31<sup>st</sup> December, 2020.

Thanking you,

Yours Faithfully,  
**For Alchemist Corporation Limited**

AMOL  Digitally signed by  
AMOL MATHUR  
MATHUR Date: 2021.01.13  
16:44:06 +05'30'

**Amol Mathur**  
**(Company Secretary & Compliance Officer)**

Enclosed: A/a



## शीर्ष अदालत ने कहा

## मवेशियों की खरीद फरोखत उन पर क्रूरता नहीं

जनसता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 12 जनवरी।

भैंस व्यापारी कल्याण संघ की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने

सोमवार को एक हफ्ते के लिए टाल दी। संघ ने 2017 की एक अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

है। जिसमें सरकारी एजेंसियों को मवेशी देने

वोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रह्मण्यम भी थे।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने महान्यायवादी तुषार मेहता से पूछा कि नियमों के बारे में वे क्या कदम

उठा रहे हैं। महान्यायवादी ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता जब्त करने

और अधिग्रहण करने को लेकर भ्रमित है। जिस पशु के साथ क्रूरता

की जा रही हो उसे क्रूरता करने वाले के पास नहीं छोड़ा जा सकता। जहां

तक जब्त करने का सवाल है, पशुकार वापस लेने के लिए अदालत

से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे विस्तृत जवाब अदालत में

दाखिल कर चुके हैं।

की हस्तक्षेपकर्ता गौरी मौलेखी की तरफ से वरिष्ठ वकील वीवी गिरी

और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जब्त का अधिकार देने वाली कानून की

धारा 35 पर गौर कीजिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश बोले कि मवेशी को

बेचने का मतलब उसके साथ क्रूरता करना नहीं है। बिक्री से आजीविका

चलती है। हम उस परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जब मवेशियों को

एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अदालत में दाखिल याचिका

में भैंस व्यापारी कल्याण संघ ने कहा है कि सरकार की अधिसूचना 1960

के पशु क्रूरता निरोधक कानून के प्रावधानों के दायरे से बाहर है।

## मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

जनसता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 12 जनवरी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी व पंजाब सरकार के जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को

दो हफ्ते की मोहलत दे दी। यह जवाब उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर देना है। राज्य सरकार

ने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की है कि अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित किया जाए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह के एक पीठ ने यह

आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अंसारी के खिलाफ राज्य में गंभीर आपराधिक

मामले लंबित हैं। जबकि वह पंजाब की जेल में एक मामूली मामले में दो साल के लिए रिमांड पर हैं। यह ही दलील दी गई है कि उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल नहीं हुआ है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि अंसारी देश के संघीय ढांचे से खेल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से अंसारी के खिलाफ वहां दस मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। उसकी चिकित्सा दशा के बारे में भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

**उत्तर प्रदेश पावर ट्रेड्समिशन कायपोरेशन लिमिटेड**  
ई-निविदा सूचना संख्या-37/विजिदा/आरएम/आगरा/2020-21 के निविदा संशोधन का प्रकाशन

**E-Tender Notice No. 32/ECTC/A/2020-21 पर अंकित ई-निविदा जिसकी निविदा विशिष्टीकरण संख्या 63 पर अंकित 132 के0वी0 उपकेंद्र पिनाहट जिला आगरा पर नवनिर्मित अतिथि गृह में नये फर्नीचर लगाने एवं विविध जानपदोय कार्य के स्थान पर 132 के0वी0 उपकेंद्र पिनाहट जिला आगरा पर नवनिर्मित अतिथि गृह में ट्यूबवैल बोरिंग एवं अन्य विकास कार्य पदा जगह, अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी। निविदा सम्बन्धित विवरण विनागीय वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल-आगरा, उपग्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, निकट अमर उजाला रोड, पारेषण मंडल, ककरेटा रोड, 22के0वी0 उपकेंद्र सिन्दरना आगरा। "राष्ट्र हित में प्रेजिडि बचायें" पत्रांक: 1916-विजि010 पा0म0आ0/निविदा/दिनांक:12.01.2021**

**THE FEDERAL BANK LTD.**  
YOUR PERFECT BANKING PARTNER  
REGD. OFFICE: ALWAYS, KERALA

एनएच 47, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी), राजनगर, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.)  
फोन नं. 0120-2821550, ई-मेल: [gzd@federalbank.co.in](mailto:gzd@federalbank.co.in)

**स्वर्ण को ग्राइंडेर विक्री हेतु सूचना**  
एतद्द्वारा समस्त संभावित जन का जानकारी हेतु सूचना दी जाता है कि बैंक की अंतर्गत शाखा में निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खाते में बंद रहने पर स्वर्ण आभूषण, जो विभागीय के लिए अतिरिक्त है तथा ब्याज-ब्याज सूचनाओं के बावजूद नियमित नहीं किये गए हैं, शाखा में दिनांक 29/01/2021 को बिक्री हेतु रखे जायेंगे।

शाखा/स्थान	नाम	खाता संख्या
शाखा गाजियाबाद, बी-7, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर	संदीप कुमार	16146100018715
	सम्पन कुमारी	16146100018958
	मंजीत कुमार शर्मा	1614640004654
	दीपक कुमार	16146100019762
	मोहम्मद राजीव	16146100017295
	मोहम्मद यकूब	16146100018582
	प्रेमलता	16146100018640

स्थान: गाजियाबाद  
तिथि: 13.01.2021

**गुलशन पोलिओल्स लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: एन. सि. रो. उत्तरांचल रोड, मुजफ्फरनगर-251001 (उ.प्र.)  
कोर्पोरेट कार्यालय: जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092  
दूरभाष: 011-48992020, फैक्स: 011-48999202  
सीआरएन: L24231UP2000PLC034918  
वेबसाइट: [www.gulshanindia.com](http://www.gulshanindia.com), ईमेल: [cs@gulshanindia.com](mailto:cs@gulshanindia.com)

**मंडल की बैठक की सूचना**  
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 20 जनवरी 2021 को जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 में अन्य बातों के अतिरिक्त, कम्पनी के अन्य विषयों सहित, 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु अन्-अकेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन हेतु आयोजित होना निर्धारित है। इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट [www.gulshanindia.com](http://www.gulshanindia.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) एवं [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते गुलशन पोलिओल्स लिमिटेड  
हस्ताक्षर / (विद्युत गति)  
कम्पनी सचिव

दिल्ली  
12 जनवरी 2021

**ansalapi**  
Empowering LifeStyle Since 1987

**अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
कोर्पोरेट पतेका संख्या: L45101DL1967PLC004759  
पंजीकृत कार्यालय: 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

मोबाइल: 91-9871053419, दूरभाष: 011-23335550, 66302269/72  
वेबसाइट: [www.ansalapi.com](http://www.ansalapi.com); ई-मेल: [shareholderservice@ansalapi.com](mailto:shareholderservice@ansalapi.com)

**सावधि जमाकर्ताओं हेतु सूचना**  
कम्पनी को सावधि जमा योजनाओं हेतु रजिस्ट्रार की सेवाओं की अनिश्चरता/वापसी एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी की सावधि जमा योजनाओं हेतु रजिस्ट्रार के रूप में मैरिस लिंक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सेवाएं अनिश्चर कर दी हैं। कम्पनी को सावधि जमा योजनाओं के संबंध में सभी भावी सम्पर्क आपकी सावधि जमा रसेंस दे, ई-मेल आईडी तथा प्रयोग सम्पर्क के लिए मोबाइल नम्बर सहित नीचे उल्लिखित ई-मेल आईडी/पते पर किए जा सकते हैं:

ई-मेल आईडी: [shareholderservice@ansalapi.com](mailto:shareholderservice@ansalapi.com)  
पता: अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - (सावधि जमा खण्ड), 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
दूरभाष: 011-23335550; एक्सटेंशन 290/263  
साथ ही सावधि जमाओं हेतु सभी सम्पर्क प्राप्त करने के क्रम में कम्पनी के साथ अपना ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर अपडेट करा लें।

कृते अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड  
हस्ताक्षर / (विद्युत गति)  
अध्यक्ष समी  
महाप्रबंधक (कोर्पोरेट मामले)  
तथा कम्पनी सचिव  
सदस्यता सं. एफसीएए 7135

तिथि: 11 जनवरी, 2021  
स्थान: नई दिल्ली

**ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली**  
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओर सं. 1400/2018

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**

श्रीमती मधु लता उपाध्याय एवं अन्य सेवा में,	बनाम	आवेदक
श्रीमती मधु लता उपाध्याय पत्नी श्री अमित कुमार उपाध्याय, निवासी, रमणसिंह सं. 9, एमसीडी डब्ल्यूजेंड-868, दूसरी मंजिल, राज नगर-II, पालम कॉलोनी नई दिल्ली-110045, खसरा नं. 59/19		आवेदक
साथ ही: श्री-702, रामफल चौक, झरका सेक्टर-7, नई दिल्ली-110075		आवेदक
श्री अमित कुमार उपाध्याय पुत्र श्री राजेश कुमार उपाध्याय निवासी, रमणसिंह सं. 9, एमसीडी डब्ल्यूजेंड-868, दूसरी मंजिल, राज नगर-II, पालम कॉलोनी नई दिल्ली-110045, खसरा नं. 59/19		आवेदक
साथ ही: श्री-68, चिन्योट बस्ती, नवी करीम, पहाड़गंज, निकट होटल हवाई हाउस, नई दिल्ली-110055		आवेदक
श्री राजकुमार पुत्र श्री कुंजी लाल निवासी: 108/16/1, वाता अपार्टमेंट, भूतल एवं पांचवीं मंजिल, निकट पार्लर ऑफिस मेहरोली, नई दिल्ली-110030		आवेदक

जबकि उपर्युक्त नामधारी आवेदक ने र. 18,73,912.10/- (रुपये अठारह लाख तिहर हजार नौ सौ बारह एवं दस पैसे मात्र) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है और जबकि अधिकरण को सन्तुष्टि तक वह प्रदर्शित किया गया है कि आपके पास सामान्य ढंग से सूचना नहीं पहुँचाई जा सकती है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको 18.01.2021 को 10.30 बजे प्रातः विमान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है। (अधिक विवरण के लिए डीआरटी की वेबसाइट [www.ctribunal.gov.in](http://www.ctribunal.gov.in) दूरभाष नम्बर: 011-23748473)

ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तथ्य पर आपके उपस्थित होने में असफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई अर्द्ध फैसला किया जायेगा। जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने जायेंगे और उक्त उद्देश्य के लिए:-

(i) सभी एडवोकेट/वादी "सिक्रो वेबेक्स" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे।  
(ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी-I/एड वसूली अधिकारी-II द्वारा मामले की हेरिचय में सुनवाई की अगली तारीख हेतु "मोडिंग आईडी" तथा "पावरऑफ" सार्वजनिक सूचना शीर्षक के तहत डीआरटी पोर्टल अर्थात् "drt.gov.in" पर अगली तारीख से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी।  
(iii) किसी आकरिमकता की स्थिति में एडवोकेट/वादी सम्बन्धित अधिकारी से दूरभाष नं. 011-23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

12 नवम्बर, 2020 को भेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुहर सहित

इस अधिकरण के आदेशानुसार कृते रजिस्ट्रार

प्रतिवादी अन्य पृष्ठालक के लिए निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं:

श्री अमित के. डार,  
विद्वान रजिस्ट्रार  
डीआरटी-1, नई दिल्ली  
दूरभाष नं. 011-23748473  
ई-मेल: [drt1delhi-dfs@nic.in](mailto:drt1delhi-dfs@nic.in)

**एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
CIN: L74899DL1993PLC055768  
पंजी. कार्यालय: आर-4, बृजिन नं. 103, प्रथम तल, चिन्मयी एक्सटेंशन, मेन रोड, मालवीय नगर, दिल्ली-110017  
[info@alchemist-corp.com](mailto:info@alchemist-corp.com)/011-29544474  
सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पंजित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल को 06 वीं बैठक (विना 2020-2021 के लिये) मंगलवार, 2 फरवरी, 2021 को 2.00 बजे अप. में आर-4, बृजिन नं. 103, प्रथम तल, चिन्मयी एक्सटेंशन, मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये संश्लेषित तथा स्टैंडलाइज्ड वित्तीय परिणामों तथा अन्यकी को अनुमति से आवश्यक किसी अन्य मामलों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अतिरिक्त में लिये जायेंगे।

सेबी (इन्सयडर ट्रेडिंग नियम) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत सूचित करने के निदेशकों/अधिकारियों/विनियमित व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 01 जनवरी, 2021 से 05 फरवरी, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेगी।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् [www.alchemist-corp.com](http://www.alchemist-corp.com) तथा कम्पनी के एक्सटेंशन को साइट अर्थात् [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) जहाँ कम्पनी की प्रतिभूतियाँ सूचित हैं, पर भी उपलब्ध है।

बैंक के आदेश से एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये स्वयं लाल स्थान: नई दिल्ली तिथि: 12.1.2021

(प्रबंध निदेशक)  
DIN: 03322857  
सी-4/511, कस्तूरबा गांधी मार्ग, एन्क्लेव, नेहरू नगर-3, गाजियाबाद-201001

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India**  
शाखा - रुद्रपुर, प्लॉट नं. 7, ऐरो